पीपल और वट वृक्ष की आयु बहुत लंबी क्यों?

रणबीर फोगाट

दोनों ही वृक्षों की कई किस्म हिंदुस्तान में मिलती हैं। मालूम हुआ है कि क्रमिक-विकास के दौरान आज से करीब 80 लाख साल पहले लाखों पेड़ों में से इन दोनों नस्लों ने अपनी जींस में कुछ ऐसे परिवर्तन किए जिससे इनकी जड़ों की कोशिकीय संरचना इस तरह से विकसित हुयी जिससे अत्याधिक 'स्ट्रैस' (तापमान, वर्षा, मिट्टी या धरा की रूप रंग और मौसम) को ये झेल कर अपना जीवन बचाए रखें। भोपाल के अभिषेक चक्रवर्ती, श्रुति महाजन, मनोहर सिंह बिष्ट और इनके गुरु विनीत कुमार शर्मा ने आधुनिक 'जीन सीक्वेंसिंग टेकनीक्स' की मदद से मालूम किया है कि पीपल में 25,016 और वट वृक्ष में 23,929 कोडिंग जींस हैं जिनके लाखों बेस-पेयर हैं। इस बारे इनका शोध-पर्चा सन 2022 के अक्तूबर महीने में 'आई-साइन्स' में छपा।

इन वैज्ञानिकों ने देखा कि वट में 17 और पीपल में 19 एम.एस.ए जींस हैं जो इन दोनों वृक्षों के दीर्घजीवन को सुनिश्चित करती हैं। हमने देखा ही है कि ये दोनों वृक्ष किस तरह से खंडहर भवन की मोटी दीवारों और चट्टानी धरती को फाड़ कर भी अपनी वृद्धि करते हैं और सिर्फ वायुमंडल में बनी नमी या फिर बरसात के दौरान के पानी या फिर कहीं से पानी की लीकेज़ होने पर उसे ग्रहण करके अपनी जान बचा कर रखते हैं। रहस्य छिपा है इनकी जड़ की बनावट में मौजूद कोशिकाओं के भीतर जो और पेड़ों की जड़ों से भिन्न होती है। एम.एस.ए का अर्थ है 'मल्टीपल साईज़्ज़ ऑफ एडेप्टिव एवोल्यूशन' जिसे हम इस रूप में समझ सकते हैं जैसे कि जड़ों की कोशिकाओं की संरचना का लंबा हो जाना, कोशिकाओं का तेज़ी से और बहुसंख्या में विभाजित होना (सेल प्रोलिफ्रेशन), बीज़ और परागकणों की बनावट और वृद्धि, पार्श्व-अंग बनना (वट की ढाढ़ी), पुष्पाच्छादित होने के समय का निर्धारण, चयाप्चयी (मेटाबोलिज़्म) प्रक्रिया का निर्धारण और एक से दूसरी कोशिका के बीच संवाद की प्रक्रिया। कोशिका स्तर पर रूपान्तरण ने इन वृक्षों को बीमार होने से भी बचाया है। इन वृक्षों की कोशिकाएं 'ओक्सीडेटिव स्ट्रैस' को भी झेलती हैं और किसी भी किस्म के रोगकारक संक्रमण से पेड़ को बचा कर रखती रही हैं। 'ओक्सीडेटिव स्ट्रैस' की रासायनिकी और जीवित प्राणियों पर (पेड़) इसके प्रभाव को समझने के लिए संक्षिप्त में इतना ही कहना पर्याप्त है कि जिन बाहरी परिवर्तनों (जैसे कि वायुमंडल में मौजूद गैसों की मात्रा में परिवर्तन होना, विकिरण की किस्म और मात्रा की उपस्थिती चाहे वह सूर्य और अन्तरिक्ष से आने वाला दृश्य-प्रकाश है या अदृश्य किरणें, आसमानी बिजली या किसी और कारण जैसे कि बाढ़, से पेड़ के किसी भी अंग-प्रत्यंग को होने वाली क्षति) के कारण पेड़ की विभिन्न तरह की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है तो ये कोशिकाएं उसका जवाब देती हैं और अपने भीतर की रासायनिकी को इस तरह से सक्रिय करती हैं जिससे नुकसान को निरस्त किया जा सके। लेकिन इसे पेड़ के शरीर को काटने या जलने से हुयी क्षति से जोड़ कर न समझें। इसका रिपेयर-मैकेनिज़्म अलग है। इसमें ग्लूटाथियोन नामक रसायन की जोरदार भूमिका रहती है। वनस्पति में यह रसायन एक एंटी-आक्सिडेंट के रूप में मौजूद रहता है। यही रसायन कोशिका को नुकसान से बचाता है। कोशिका के अनेक हिस्सों में फ्री-रेडिकल्स, परऑक्साइड्स, लिपिड-परऑक्साइड्स से होने वाली क्षति और आण्विक रूप से भारी धातुओं के सूक्ष्म कणों के संपर्क में आने के बाद के दुष्प्रभाव से ग्लूटाथियोन ही पेड़ की कोशिकाओं को बचाता है। ओक्सिडटिव स्ट्रैस को समझने के लिए इंटरनेट रिसौर्सेस का इस्तेमाल किया जा सकता है।

इन्हीं गुणों के अध्ययन के बाद प्राचीन भारतीय मनीषियों ने इन दोनों वृक्षों की रक्षा के लिए इन्हें धार्मिक कृत्यों से जोड़ दिया ताकि लोग इन्हें चमत्कारी और श्रद्धेय मान कर इनकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। ऐसी थी भारत की पर्यावरणी सोच!

पीपल और वट वृक्ष वैदिक काल से ही भारतीय सांस्कृतिक जीवन शैली के अभिन्न अंग रहे हैं। पादप संपदा के प्रति पाप और पुण्य के दृष्टिकोण यहीं जन्में हैं। इन वृक्षों का काटना या क्षति न पहुंचाना ही पुण्य माना गया। ऐसा दृष्टिकोण विश्व की किसी और सभ्यता में नहीं हो सकता। लेकिन श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में जरूर है जिनमें आदिकाल से भारतीय संस्कारों की प्रतिष्ठा हुयी। बर्मा से विएतनाम तक यह मिलेगी। इन दोनों वृक्षों की खुद ही सूख कर नीचे गिरी हुयी टहनियों को बीनना और इन्हें जलाना भी %पाप% समझा गया। इनकी लकड़ी ईंधन रूप में निषेध्य है। इसलिए कि यह एक तो तैलीय नहीं जो धधक कर जल उठे और इसका तन्तु ऐसा जो बहुत धुआं उत्पन्न करता है। इसीलिए देसी कीकर की सूखी हुयी लकड़ी ईंधन के लिए श्रेष्ठ मानी गई।

पीपल और वट के गुणों से कौन वाकिफ नहीं? इसलिए इनके साथ नीम की त्रिवेणी लगाने की परंपरा का विकास देश में हुआ। लेकिन अनेक संस्कारी लोग त्रिवेणी के भाव को समझ नहीं पाते और तीनों वृक्षों के छोटे पौधे एक साथ जोड़कर लगाते रहे हैं। नीम वृक्ष का हरेक अंग-प्रत्यंग महत्वपूर्ण है और टिंबर के अलावा औषधीय गुणों से भरपूर। नीम में पाया जाने वाले रस और इसके अंगों में मौजूद रसायन (एक्टिव प्रिन्सिपल का नाम एजडायरिकटिका इंडिका) विषाणु, जीवाणु और फफूंद रोधी है। ये तीन वृक्ष भारतीय जीवन शैली और स्वस्थ पर्यावरण के लिए जरूरी माने गए, इसीलिए इन्हें त्रिवेणी के रूप में मान्यता दी गई। इन्हें फैलने के लिए और स्वस्थ वृद्धि हो सके, इस के लिए इन्हें कम से कम 50 फुट की दूरी पर रोपना होता है, न कि एकसाथ रोप कर इनकी वृद्धि को कुंठित कर देना।

भारत में ब्रिटिश हकूमत के दौरान सन 1783, 1866, 1873, 1892, 1897 और 1943-44 में जब अनावृष्टि की वजह से भीषण अकाल पड़े और पानी के लिये हाहाकार हुआ तब दानी सेठों ने अनेक तालाब और कुओं का निर्माण करवाया। हरयाणा के जिला भिवानी में बड़वा गांव के केसर सेठ ने अपने गांव में एक विशाल तालाब और इसके निकट दो बड़े कुओं का निर्माण जब ई सन 1892 में करवाया तो पीपल और पिलखन के वृक्ष भी लगवाए। ये वृक्ष अभी बड़े हो गए हैं और स्वस्थ हैं।

हमें मालूम ही है कि पीपल के पत्ते और नीम के फूल एक प्रतीक के रूप में भारतीय स्थापत्य और परिधान जैसी शृंगार सामग्री के अलंकरण के लिए भी उपयोग किए गए हैं। पीपल और वट वृक्ष के बारे में भारत की फोकलोर में अनेक तरह के मिथक और लोककथाएं प्रचलित रही हैं। हमारे यहां अक्षय वट की अवधारणा है और महिलाएं %वट-सावित्री% व्रत का पालन करती हैं। हल्दी और गेरु में रंगी हुयी %मौलि% को इसलिए महिलायें वट वृक्ष के चारों ओर प्रतीक के रूप में लपेटती हैं जिससे औरों के इसके गुणसंपन्न और श्रद्धेय होने का आभास हो; ताकि इसके इस %मौलि% रूप में पहनाए गए रक्षा-कवच के धारण से कोई मनुष्य इसे क्षति न पहुंचाए। इसका पालन भारत में गैर-हिंदुओं ने भी किया। ईरान और मिस्र की वृक्ष-निमित्त परम्पराओं से हमें उधर के अनेक संस्कारों और मिथकों के बारे में भी मालूम होता है।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा में साम्प्रदायिकता का तड़का

राम पुनियानी

श्रद्धा वालकर की हत्या की अत्यंत क्रूर और बर्बर घटना ने देश को हिला कर रख दिया है. इस तरह की अमानवीय हिंसा की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है. कुछ इसी तरह का भयावह घटनाक्रम निर्भया और तंदूर मामलों में भी हुआ था. हाल में अभिजीत पाटीदार ने जबलपुर के एक रिसोर्ट में शिल्पा की गला काट कर हत्या कर दी और उसका वीडियो भी बनाया. राहुल द्वारा गुलशन की हत्या भी उतनी ही सिहरन पैदा करने वाली थी.

श्रद्धा वालकर के मामले में चूँकि कथित हत्यारा अफताब (मुसलमान) है, अत: इसे लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है. दरअसल इसका सम्बन्ध उन समस्याओं से हैं जिनका सामना अक्सर अंतर्धार्मिक विवाह करने वाली महिलाओं को करना पड़ता है. जिन मामलों में अलग-अलग धर्मों के महिला और पुरुष परस्पर रिश्ते बनाते हैं, या लिव-इन में रहते हैं अथवा विवाह कर लेते हैं, उनमें से अधिकांश मामलों में माता-पिता, रिश्तेदारों और मित्रों की सहमति नहीं रहती. वे सब विद्रोही महिला से सम्बन्ध तोड़ लेते हैं. महिला निसहाय हो जाती है. ऐसे में पितृसत्तात्मक मानसिकता के चलते कई पुरुष महिलाओं के साथ मनमानी करने लगते हैं. वे हिंसक हो जाते हैं. ऐसा भारत में ही नहीं वरन पूरी दुनिया में होता है. महिलाओं का अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों से कोई संपर्क नहीं रहता और वे किसी से मदद मांगने की स्थिति में नहीं रहतीं.

मीडिया का एक हिस्सा श्रद्धा वालकर मामले के वीभत्स पहलुओं का अत्यंत विस्तार से बार-बार वर्णन कर टीआरपी बढ़ाने में लगा है. इससे समस्या और बढ़ गई है.

इस मामले को सांप्रदायिक मोड़ भी दे दिया गया है. इससे न सिर्फ यह पता चलता है कि हमारे देश में बांटने वाली राजनीति का किस कदर बोलबाला हो गया है बल्कि इससे अंतर्धार्मिक वैवाहिक संबंधो की असली समस्याओं की पहचान और निराकरण करने की प्रक्रिया भी बाधित होती है. जैसा कि जानीमानी मानवाधिकार कार्यकर्ता कविता कृष्णन कहती हैं, "मुद्दा यह नहीं कि एक समुदाय के पुरुष, दूसरे समुदाय की महिला के साथ अमानवीय बर्ताव करते हैं बल्कि मुद्दा यह है कि इस पर फोकस करने से हमारा ध्यान असली समस्या से भटकता है."

इस अपराध को आधार बनाकर किस तरह की बातें जनता के दिमाग में भरी जा रही हैं इसका अंदाज़ा लगाने के लिए दो ट्वीट काफी हैं. भाजपा के कपिल मिश्र ने ट्वीट किया, "बॉलीवुड, मीडिया , झूठा भाईचारा दिखाने वाले विज्ञापन, मुँह में बेटियों का खून जमा कर बैठी राजनीति, नक़ली सेकुलरिज्म का ज़हर पीकर बैठा अमीर और अपर मिडिल क्लास, बिकाऊ पुलिस और जिहादी शिक्षा मॉडल ज़िम्मेदार है श्रद्धा जैसी हर बेटी की हत्या के लिए. बेटियों को दोष मत दो."

एक अन्य ट्वीट में तपन दास ने कहा, "हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम अपनी बहनों और बेटियों को अपनी मुट्ठी में नहीं रख पाते. वे जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र होती हैं. अगर माता-पिता और भाई हर बहन-बेटी पर नज़र रखेंगे कि वे कहाँ जातीं हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी जल्दी प्यार करने लग जाएगा. वे जाल में नहीं फंसेंगीं." दोनों ट्वीटों के लेखकों की पितृसत्तात्मक सोच स्पष्ट है. और यह तो सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसका नमूना भर है. जाहिर है कि इस सबका प्रभाव नकारात्मक ही होगा. इससे समाज में पहले से व्याप्त नफरत और बढ़ेगी और मूल मुद्दे - अर्थात महिलाओं के खिलाफ हिंसा, विशेषकर अंतरजातीय और अंतर्धार्मिक संबंधों में - से ध्यान भटकेगा.

"लव जिहाद" शब्द से आशय है धर्मपरिवर्तन की साजिश, जिसका उद्देश्य इस्लामिक आतंकी समूहों में युवाओं की भर्ती करवाना, सेक्स ट्रैफिकिंग और भारत के जनसांख्यिकीय चरित्र को बदलना है.

लव जिहाद शब्द को सांप्रदायिक ताकतों ने गढ़ा और उन्हीं ने इसे समाज के विभिन्न तबकों में लोकप्रिय बनाया. इस शब्द की संकल्पना में यह निहित है कि महिलाएं और लड़कियां अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकतीं. यह संकल्पना, धार्मिक राष्ट्रवाद की पितृसत्तात्मक विचारधारा का हिस्सा है. अब हिंदुत्ववादी राजनीति के पैरोकार मंत्री और नेता 'हिन्दू लड़कियों की सुरक्षा' के लिए नए कानूनों की बात कर रहे हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय के जज तक सरकार को यह निर्देश दे रहे हैं कि वह धर्मपरिवर्तन रोकने के लिए कुछ करे.

लव जिहाद के हौए की शुरुआत कुछ साल पहले केरल से हुई थी. प्रचार यह किया गया कि इसका उद्देश्य गैर-मुस्लिम महिलाओं को मुसलमान बनाना और उनका इस्तेमाल सीरिया, अफ़ग़ानिस्तान आदि में आतंकी संगठनों के सदस्यों के लिए 'सेक्स स्लेव' के रूप में करना है. हांदिया (पूर्व नाम अकीला अशोकन) द्वारा इस्लाम स्वीकार कर शफीक जहान से शादी करने के मामले में चली लम्बी कानूनी लड़ाई ने इस दुष्प्रचार की हवा निकाल दी. ऐसा बताया गया था कि हादिया लव जिहाद की शिकार है और उसे आईएसआईएस में भर्ती किया जायेगा. परन्तु हादिया ने निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में साफ़-साफ़ कहा कि उसने अपने जीवनसाथी और अपने नए धर्म का चुनाव अपनी मर्ज़ी से किया है. सुप्रीम कोर्ट ने सन 2018 में हादिया के अपने धर्म से बाहर शादी करने के अधिकार को वैध ठहराया. इसी तरह का दुष्प्रचार देश के अन्य क्षेत्रों में भी किया गया और किया जा रहा है.

पिछले कुछ महीनों में कर्नाटक, असम, हरियाणा और गुजरात - जहाँ भाजपा या भाजपा ने नेतृत्व वाले गठबंधन सत्ता में हैं - के मुख्यमंत्रियों ने लव जिहाद से निपटने के लिए कानून बनाने की बात कही है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में पहले से ही ऐसे कानून हैं जो विवाह हेतु धर्मपरिवर्तन को अपराध घोषित करते हैं.

सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में राष्ट्रीय महिला आयोग ने 11 नवंबर 2020 को कहा था कि, "आयोग द्वारा "लव जिहाद" की श्रेणी के अंतर्गत शिकायतों से सम्बंधित कोई आंकडें संधारित नहीं किये जाते". इसका अर्थ यह है कि "लव जिहाद" के होने का कोई प्रमाण नहीं है. केरल पुलिस ने भी आरटीआई के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न का यही जवाब दिया था. यह उत्तर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को दिया गया था. आयोग ने केरल पुलिस से कहा था कि वह सीरियाई-मलाबार चर्च द्वारा 14 जनवरी 2020 को उसे की गई शिकायत की जांच करे. इस शिकायत में कहा गया था कि, "यह एक तथ्य है कि केरल में लव जिहाद हो रहा है और सुनियोजित तरीके से ईसाई लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है."

भाजपा के कई नेता आफताब-श्रद्धा मामले को लव जिहाद से जोड़ रहे हैं. हाल में रिलीज़ हुई फिल्म "केरला स्टोरीज" ने तो सारी हदें पार कर लें हैं. फिल्म में यह दावा किया गया है कि केरल की 32,000 युवतियों को मुसलमान बनाकर सीरिया, यमन इत्यादि ले जाया गया है! यह आंकड़ा पूरी तरह से अविश्वसनीय स्त्रोतों पर आधारित है और ऐसा लगता है कि फिल्म निर्माता ने तार्किकता को तिलांजलि दे दी है.

आज ज़रुरत इस बात की है कि हम लव जिहाद के दुष्प्रचार, जो देश की फिजा में ज़हर घोल रहा है, का मुकाबला करें. आज ज़रुरत इस बात की है कि वैवाहिक और प्रेम संबंधों में दु:ख भोग रही लड़कियों और महिलाओं को हेल्पलाइन और अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध हो. हमें यह समझना होगा कि इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए हमें उन्हें साम्प्रदायिकता के रंग में रंगने से कुछ हासिल नहीं होगा. (अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया;)